न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद संख्या–2/2015

24.02 .2020

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज प्रतिवादी के दिनांक–16.01.2020 के आवेदन पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं0–02 द्वारा समय सीमा के अंदर लिखित कथन दाखिल नही करने का कारण दिनांक–06.12.2019 को लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिया गया था। अब प्रतिवादी सं0–02 लिखित कथन दाखिल करना चाहता है। अतः उचित न्यायनिर्णयन हेतु एवं न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 के दिनांक–16. 01.2020 का आवेदन 1000 रू0 के खर्च पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी द्वारा दाखिल 16.01.2020 के लिखित कथन को अभिलेख पर रखने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक–16.03.2020 वास्ते वाद बिन्दु।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)